

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायलु

ज अदालत..... मुकाम.....

बनाम गोविन्द पटेल
किस्म मुकदमा 111/128 Suit नं. 120/2020 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28-07-20	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>नरपत सिंह</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>08-09-20</u> को पेश हो।</p>	
08/09/2020	<p><u>विजय शर्मा</u> सहायक कलेक्टर (SDO) बायलु</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विजय शर्मा के नोटिस लामिल हुआ प्राप्त जिसे लामिल पत्रावली छिन्ना गया। विजय शर्मा वाकजुड लामिल केतु उपस्थित। जिनके विरुद्ध एडवोकेट डायवादी शमल के लार्ज जाली है जिन वास्ते वदल पत्रावली दिनांक 21/09/2020 को पेश हो।</p>	
21/09/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विजय शर्मा केतु प्रार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट वदल हुनी गर्ज प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा वदल की प्रार्थी व विजय शर्मा के ज्वातेतारी पत्र पास पास कले हुए है प्रार्थी व विजय शर्मा के केतु के विद्यु जाने उरानी मारे व उने कये हुए प्रार्थी पतमान के अधिवक्ता की एडवोकेट विद्यु जप है जिससे प्रार्थी व विजय शर्मा के मध्य खेत है सीमाकी डा एपान नही पदत है जिससे प्रार्थी</p>	

विजय शर्मा

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायलु



ब विधार्थियों के मध्य घेत के सही को लेकर
तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने घेत की सीमाओं
का ज्ञान करने हेतु नेपथमवन्ती शिवानी काव्यप्रड है।
प्रार्थी का नेपथमवन्ती शिवानी स्वर्डा विभा जाडू नेपथम-
वन्ती शिवानी विभा जावे।

कल: प्रार्थी काव्यप्रड के सिवेन पर
प्रार्थी का नेपथमवन्ती शिवानी स्वर्डा विभा जाडू प्रार्थी
का नेपथमवन्ती शिवानी स्वर्डा विभा जाडू तटपीला
गिडा को इमिशन व सम्बन्धित अ. कर्मिलेय मिडिल
को सहायक इमिशन निमुक्त विभा जाडू शिवानी विभा
जाता है कि काय स्वयं या सहायक इमिशन के प्रार्थी
के प्रालेखी घेतों की पन्थी नेपथमवन्ती शिवानी पर इमिशन
नर वुलड जमाडाडू उरें। पालना रिपोर्ट प्राल घेतों पर
शामिल पत्रावली है। पत्रावली केमल शुमा टोडा इर
नम्बर न इम है। दाखिल इमतर है।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

श्री गिस्धरीराम उत्र
जाति - मेघवाल
निवासी - कसुम
तहसील - सि
प्रार्थना

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन / 2020 / 693

दिनांक :- 22/09/2020

आवेदन संख्या -190 / 2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री गिरधारीराम पुत्र पेमाराम
जाति-मेघवाल,
निवासी-कसुम्बला हरचंद,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

श्री प्रागाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 10,
निवासी-कसुम्बला हरचंद,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-कसुम्बला हरचंद, पटवार मण्डल-कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 126/70 रकबा 36.14 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमाक/आवेदन/2020/694-698


प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री गिरधारीराम पुत्र पेमाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री प्रागाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 10।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।


सहायक कलेक्टर
(विवेक व्यास) (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक :- 22/09/2020


उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु